\

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह चौहान R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 121 / 2022

दायर तारीख :– 17.01.2022

1. नानूराम पुत्र गंगाराम
2. धनराज पुत्र मोहनलाल
3. रामजीलाल कुमावत पुत्र मोहनलाल
4. जमनादेवी पत्नि मोहनलाल
5. दानाराम पुत्र भैरू

समस्त जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दयाल
2. कैलाशचन्द पुत्र गंगाराम
3. कानाराम पुत्र नानूराम
4. कानाराम पुत्र भैरू
5. गुलाबदेवी पुत्री दयाल
6. गीतादेवी पुत्री दयाल
7. गोपाल पुत्र मांगू

7/1– नाथी देवी पत्नि स्व0 गोपाल

7/2– पदमाराम पुत्र स्व0 गोपाल

7/3– चुन्नीलाल पुत्र स्व0 गोपाल

7/4– प्रकाश पुत्र स्व0 गोपाल

समस्त जाति कुमावत निवासीयान बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

7/5– कृष्णा देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि नन्दाराम जाति कुमावत नि0 देवतवालो की ढाणी, जोबनेर जिला जयपुर

7/6– गोबंद पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि भींवाराम जाति कुमावत नि0 सरस्वो की ढाणी, आसलपुर,तह0 जोबनेर जिला जयपुर

7/7– रामप्यारी देवी पत्नि स्व0 गोपाल पत्नि रामनारायण नि0 कुच्यावास, खेजडावास, तह0 जोबनेर

7/8– भंवरी देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि शंकरलाल जाति कुमावत नि0 देवतवालो की ढाणी, मंढा भीमसिंह तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर

8. गोपाल लाल पुत्र काना
9. घीसा पुत्र भोलू
10. चुन्नीलाल पुत्र भैरू
11. छोटू पुत्र भोलू
12. पेमा पुत्र भोलू
13. पूरण पुत्र भूराराम
14. पोखर पुत्र रूघा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

15. मदनलाल पुत्र दयाल
16. मूलचन्द पुत्र गंगाराम
17. महेन्द्र पुत्र गंगाराम
18. मोहनलाल पुत्र प्रभात
19. रामनारायण पुत्र काना
20. रामेश्वर पुत्र काना
21. सणगारी पत्नि दयाल
22. सुनीता पुत्री दयाल
23. सुमित्रा देवी पुत्री दयाल
24. हीरालाल पुत्र प्रभात
25. भंवरलाल पुत्र रधुनाथ
26. मुकेश पुत्र रधुनाथ
27. नारायणी देवी पत्नि रधुनाथ

    जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
28. तहसीलदार तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
29. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जोबनेर।
30. प्रबंधक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक जोबनेर।
31. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा जोबनेर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन आराजी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :— 1. श्री हनुमान जाखड वादी संख्या 1 लगा0 04

2. श्री चन्दन सिंह वादी संख्या 05

3. श्री मुकेश कुमावत, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2,8,20,21,28,27,2,17,18,15

4. सुश्री तबस्सुम रंगरेज प्रतिवादी सं0 19 व 25

अंतिम डिक्री **दिनांक 27.06.2025**

वादीगण द्वारा वाद बाबत विभाजन आराजी एवं दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 53 व 88 रा0का0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 203/1 रकबा 11.8610 है0, ख0नं0 203/2 रकबा 0.0126 है0, गै0मु0चाह किता दो कुल रकबा 11.8736 है0 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी, पटवार हल्का जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1लगा028 की खातेदारी आराजीयात है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1लगा028 के मध्य मौखिक रूप से मनबट के आधार पर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व विभाजन कर लिया था जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादी सं0 1लगा028 अपने अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजीयात के खातेदार रधुनाथ प्रसाद पुत्र कानाराम फौत हो चुका है जिसके

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादी सं0 26लगा028 कानूनी वारिसान है। वादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा, वादी सं02लगा04 का 1/8 हिस्सा है अर्थात संयुक्त रूप से इनका 1/4 हिस्सा है।

वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रास्ते के आने जाने के सम्बन्ध में एक सिविल वाद किशन बनाम प्रभात वगै मु0नं0 44/92 चला था जिसमें दिनांक 29/1/94 को माननीय सिविल न्यायालय सांभरलेक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आने जाने के रास्ते में बाधा नहीं डालने बाबत अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था।

वादग्रस्त आराजीयात में वादी सं0 1 नानूराम पुत्र गंगाराम का राजस्व रिकार्ड में 3/40 हिस्सा व 1/20 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में अलग अंकित किया हुआ है जबकि यह एक ही व्यक्ति है। जिसका वादग्रस्त आराजीयात मद नंबर में कुल 1/8 हिस्सा है। इसी अनुसार एक ही जगह 1/8 दर्ज होना चाहिए। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 रा0टी0ऐ0 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया गया:–

1. वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1लगा028 बाबत विभाजन की डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 73 की आराजी खसरा नं0 203/1 रकबा 11.8610 है0 व ख0नं0 203/2 रकबा 0.0126 है0 गै0मु0चाह किता दो कुल रकबा 11.8736 है0 वाकै ग्राम बबेरवालो की ढाणी, पटवार हल्का जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1लगा028 के मध्य मौके के कब्जे काश्त के अनुसार तथा पक्षकारान की विभाजित आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता दो गठ्ठा चौडा दर्शाते हुये प्राथमिक डिक्री पारित फरमायी जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे व जमाबंदी में अमल दरामद करवाया जावे।
2. वादी सं0 1 का वाद इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी खाता सं0 73 की आराजी खसरा नं0 203/1 रकबा 11.8610 है0, खसरा नं0 203/2 रकबा 0.0126 है0 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी पटवार हल्का जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर में वादी सं0 1 के नाम का दो जगह इन्द्राज हिस्सा 3/40 व 1/20 अंकित किया हुआ है उसको दुरूस्त किया जाकर वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 की गयी।

पत्रावली दिनांक 19.05.2023 को कैम्प कोर्ट ग्राम बबेरवालों की ढाणी में पेश हुई। वादी सं02 एवं प्रतिवादी संख्या 1,3,4,7, 9लगा014 व 22 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2,8,15,17,18,20,21,26लगा028 कि ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमावत उपस्थित। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान वादी, प्रतिवादी एवं अधिवक्ता को मजमेआम में आपसी सहमति से वाद का निस्तारण करने हेतु समझाईश की गयी। वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,7, 9लगा014 व 22 स्वयं उपस्थित तथा 2,8,17,18,20,21,26लगा028 कि ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमावत द्वारा वादी का वाद कब्जे के अनुसार एवं भूमि में जाने के रास्तों का प्रावधान रखते हुए निर्णीत करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। वादीगण का वाद कब्जे काश्त के अनुसार एवं भूमि में जाने के रास्तों का प्रावधान रखते कब्जे के आधार पर दिनांक 19.06.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री 19.06.2023 की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 05.02.2024 को नक्शे कुरेजता तैयार कर प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.02.2024 के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 द्वारा दरख्वास्त हस्ब धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन आराजीयात व दुरूस्ती इन्द्राज का दिनांक 17.01.2022 को प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय में लम्बित व जेर तजवीज है तथा आराजीयात ख0नं0 203/1 रकबा 11.8610 हे0, ख0नं0 203/2 रकाब 0.0126 हे0 गै0मु0 चाह कुल किता 2 कुल रकबा 11.8736 वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी के वर्तमान जमाबंदी 2078 में कुल 36 खातेदार है किन्तु वादीगण ने अलावा बैंक के 28 खातेदारों को ही पार्टी बनाकर वाद पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। राज्य सरकार ने दिनांक 13.06.2023 को आदेश क्रमांक एफ. 2(01)सानि/एएस/2023–24/डी–686 जारी कर जोबनेर बाईपास सडक निर्माण हेतु खसरा नंबर 203/1 अवाप्त किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान राजपत्र विशेषांक 22 सितम्बर 2023 में अधिसूचना जारी कर राजस्व ग्राम बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर के ख0नं0 203/1 रकबा 11.8610 हे0 भूमि मे से 0.921 हे0 भूमि जोबनेर बाईपास सडक निर्माण हेतु अवाप्त की जा चुकी है। जोबनेर बाईपास सडक निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव कई महिनो पूर्व माननीय न्यायालय के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये जाने के उपरान्त ही भूमि अवाप्ति की अंतिम कार्यवाही हुई है। प्रतिवादी संख्या 12, वादीगण व कुछ अन्य प्रतिवादीगण को मुगालते मे

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रखकर के तकासमें बाबत हस्ताक्षर करवा लिये जबकि राज्य सरकार ने दिनांक 13.06.2023 को ही जोबनेर बाईपास व सडक निर्माण हेतु खसरा नंबर 203/1 अवाप्त किया गया है। और उक्त भूमि अवाप्त किये जाने के पश्चात किसी भी सूरत में किसी न्यायालय द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिवादी संख्या 12 वादीगण को गुमराह कर कुछ ही प्रतिवादीगण को मुगालते मे रखते हुये हस्ताक्षर करवा लिये और माननीय न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 19.06.2023 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित करवाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाने बाबत माननीय न्यायालय द्वारा तहरीर जारी करवा दी जो कानूनन गलत है एवं खारिज किये जाने योग्य है। जोबनेर बाईपास सडक ख0नं0 203/1 के बीचोबीच पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर निर्मित होगी। अतः किसी भी हिस्सेदार को रास्ते की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति में न्यायहित में पुनः प्रकरण पर गौर किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा क्रियात्मक आदेश दिनांक 19.06.2023 को निरस्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा भूलवश दिनांक 19.06.2023 को पारित क्रियात्मक आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, को निरस्त किये जाने की कृपा करें। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त हस्ब धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नहीं करे सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस दरख्वास्त हस्ब धारा 151 जा0दी0 उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ही दौहरान किया गया। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पारित क्रियात्मक आदेश व प्राथमिक डिक्री को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी संख्या 5 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि माननीया न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान के कैम्प कोर्ट बबेरवालों की ढाणी में जारी की गयी। उस दौरान अधिकाश काश्तकारों द्वारा वादीगण का वाद डिक्री फरमाये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। प्रशासन गांवों के संग अभियान के कैम्प कोर्ट बबेरवालों की ढाणी के दौरान मजमेआम में समझाईस के पश्चात खातेदारों द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है, ऐसी स्थिति में पक्षकारान को मुगालते मे रखने जैसी कोई संभावना नहीं है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा द्वारा न्यायालय द्वारा परित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 की सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गयी है तथा ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 को रिव्यू करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के आधार पर प्राथमिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दिनांक 19.06.2023 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है, अतः अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत नक्शे कुरेजात दिनांक 05.02.2024 के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि खसरा नंबर 203/1/ए रकबा 1.6422 दर्ज किया गया है। किन्तु उसे अलग से दर्ज नहीं किया जाकर अन्य खातेदारों मोहनलाल एवं हीरालाल पुत्र प्रभात के साथ संयुक्त रूप से खसरा नंबर 203/1/एफ रकबा 0.7580 हे0 के साथ अंकन किया गया है। जबकि दोनो खसरा खसरा नंबर अलग से दर्ज किया जाकर खसरा नंबर 203/1/ए रकबा 1.6422 में से 1.4826 हे0 को अलग किया जाकर के खातेदार एकमात्र कानाराम, चुन्नीलाल, दानाराम पुत्रान भैरूराम को पृथक से दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिससे खातेदारों में भविष्य में विवाद पैदा न हो। खसरा नंबर 203/1/ए पर दानाराम, कानाराम, चुन्नीलाल का कब्जा है व खसरा नंबर 203/1/एफ व 203/1/ए के बीच में जो 203/1/जी पर जो बाईपास है वह मोहनलाल व हीरालाल के कब्जे में है। जिसमें बाईपास में नाम हीरालाल व मोहनलाल के ही होने चाहिए थे। बाईपास रोड मोहनलाल व हीरालाल के कब्जे काश्त मे से ही आ रही है। दारानाम, चुन्नीलाल के कब्जे में नहीं आ रही है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा 203/1/सी व 203/1/डी की जमीन बाईपास रोड की भूमि को अवाप्ति में नहीं दी है। इस कब्जे काश्त के अनुसार प्रतिवादी सं0 12 को इस खसरा नंबर 203/1/ए में अलग से विभाजन किया जावे तो प्रतिवादी सं0 12 जमीन बाईपास रोड में नहीं जा रही है। यदि इस नक्शे कुरेजात के अनुसार यदि फाईनल डिक्री की गई तो प्रतिवादी सं0 19 व 25 विभाजन का एक नया वाद पेश करेगे और प्रतिवादी सं0 12 के खसरा नंबर 203/1/ए बाईपास रोड संयुक्त रूप से काटकर 203/1/एफ से 203/1/ए में प्रतिवादी सं0 12 को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करेगे। प्रतिवादी सं0 12 के आवासीय मकानात को तोड देगे। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 12 के हिस्से का विभाजन अलग से होना आवश्यक है। क्योंकि वाद विभाजन का पेश किया गया है और विभाजन में सभी पक्षकारान के खसरा नंबर अलग अलग दर्ज होने चाहिए। अतः नक्शे कुरेजात पर आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 12 की आराजीयात का अलग से विभाजन किया जाकर नक्शे कुरेजात पुनः मंगवाये जाने की कृपा करें। प्रतिवादी संख्या 12 (वर्तमान वादी सं0 5) द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुरेजात का जवाब प्रतिवादी संख्या 18 व 24 की ओर से इस प्रकार पेश किया गया है कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। वादी संख्या 5 दानाराम का नक्शे कुरेजात में दर्ज ख0नं0 203/1/ए पर कब्जा काश्त नहीं है। वरन् वादी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सं0 5 दानाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 कानाराम प्रतिवादी संख्या 10 चुन्नीलाल तीनो सगे भाई है जो जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में मार्क एबीसीडी भाग पर एवं प्रतिवादी संख्या 18 व 24 मार्क एडीईएफ भाग पर काबिज काश्त है। नक्शे कुरेजात में वर्णित ख0नं0 203/1/ए मे से 1.4826 हे0 पर कानाराम चुन्नीलाल दानाराम का कोई कब्जा नहीं है। ख0नं0 203/1/जी बाईपास की भूमि समस्त खातेदारो की आराजीयात मे से कम होना आवश्यक है। बाईपास दोनो पक्षों के कब्जे की जमीन के बीच मे से निकल रही है जिसका फायदा दोनो पक्षों को मिल रहा है साथ ही अविभाजित आराजीयात मे प्रत्येक सह खातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाने से रोड की जमीन प्रतिवादी संख्या 18 व 24 के हिस्से की जमीन मे से कम करना न्यायोचित नहीं है। मद संख्या 4 आपत्ति प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 19 व 25 (वर्तमान मे प्रतिवादी सं0 18 व 24) में मार्क एडीईएफ भाग पर पिछले 30–40 सालो से अपने बुजुर्गों के समय से काबिज चले आ रहे है जिन्होने लाखों रूपये खर्च कर जमीन की लेवलिंग करवाई है व पेड लगवाये है। वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 4 व 10 मार्क एबीसीडी पर काबिज है एवं मकान बना रखे है। इनके पिता भैरू भी मार्क एबीसीडी पर ही काबिज था। मद नं0 5 आपत्ति प्रार्थना पत्र सरासर गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। ख0नं0 203/1/ए पर ना तो प्रतिवादी सं0 12 का कब्जा है ना ही नक्शे कुरेजात मे ख0नं0 203/1/ए में प्रतिवादी सं 12 की भूमि दर्शायी गयी है इसलिए ख0नं0 203/1/ए से प्रतिवादी संख्या 12 का कब्जा अलग दर्ज किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उपरोक्त आराजीयात के बीच से निकाली गयी रोड हेतु भूमि अवाप्ति की अधिसूचना प्राथमिक डिक्री जारी होने से पूर्व दिनांक 13.06.2023 एवं 22.9.2023 को जारी की गयी है। भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी होने के पश्चात पारित प्राथमिक डिक्री अवैध है। उपरोक्त अधिसूचना मे समस्त खातेदारो से भूमि अवाप्त बाबत सूचना प्रकाशित की गयी थी जबकि रोड की भूमि कुछ ही खातेदारों के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि मुताबिक अधिसूचना प्रतिहर राशी तय कर अवार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक डिक्री व नक्शे कुरेजात राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विपरित होने से सर्वप्रथम खातेदारो की भूमि से अवाप्तशुदा भूमि कम कर शेष भूमि का विभाजन प्रस्ताव मुताबिक कब्जा संलग्न नक्शा जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र मंगवाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर मुताबिक संलग्न नक्शा जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र मुताबिक कब्जा अवाप्तशुदा भूमि की मुताबिक अधिसूचना समस्त खातेदारो की भूमि मे से कम कर शेष भूमि के विभाजन का प्रस्ताव मंगवाने की कृपा करें। बहस प्रार्थना पत्र, आपत्ति कुरेजात

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 वर्तमान वादी संख्या 5 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात में वर्णित तथ्यों का ही दौहरान करते हुए प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात स्वीकार कर पुन नक्शे कुरेजात मंगवाये जाने के ओदश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 18 व 24 द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात में वर्णित तथ्यों का ही दौहरान करते हुए प्रार्थी/वादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकरान बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चुकि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान के कैम्प कोर्ट बबेरवालों की ढाणी में मजमेआम में समझाईस के पश्चात खातेदारों द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान करने के पश्चात जारी की गयी है। जिसके संबंध उपस्थित पक्षकारों द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान को मुगालते मे रखने जैसी कोई संभावना नहीं है। तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 तथा अन्य किसी भी पक्षकार द्वारा द्वारा न्यायालय द्वारा परित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 की सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गयी है तथा ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 को रिव्यू करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 19 व 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 05.02.2024 को प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 203/1/ए तथा खसरा संख्या 203/1/एफ में कानाराम, चुन्नीलाल, दानाराम एवं प्रतिवादी संख्या 19 व 25 क्रमशः मोहनलाल व हीरालाल को संयुक्त रूप से हिस्सा प्रदान किया गया। चुकी वाद तकासमे एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय द्वारा ऐसे काश्तकारों को संयुक्त रूप से भूमि प्रदान की जाती है जिनके मध्य पूर्व से विवाद है, तो भविष्य में और विवाद पैदा होने तथा वाद बहुलता बढने की संभावन से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां न्यायालय का यह दायित्व भी बनता है कि विवादग्रस्त भूमि में काश्तकारों की भूमि को अलहदा-अलहदा किया जावे ताकि भविष्य में अनावश्यक मुकदमा बाजी ना बढे। अतः प्रतिवादी संख्या 12/वादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने पर दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

16.04.2025 को तहसीलदार जोबनेर को पुनः कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 16.04.2025 की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 20.06.2025 को पुनः कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.06.2025 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4, 10 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा नक्शे कुरेजात प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है। अतः तहसीलदार, जोबनेर को पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी सं0 5 द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात उभयपक्ष सुनी गयी। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ही दोहरान करते हुए पुनः नक्शे कुरेजात मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 18 व 24 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि उक्त कुरेजात तहसीलदार जोबनेर द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये, अतः तहसीलदार जोबनेर को पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान करावें। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी सं0 5 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दो बार नक्शे कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण प्रकरण में देरी करने के उद्‌देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा समस्त काश्तकारों को सुचित कर विधिवत रूप से तैयार किये गये है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर अधिकाश खातेदारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुरेजात प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें एवं वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात अंतिम डिक्री फरमाया जावें।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने अथवा क्रियान्विती स्थगत होने के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 की पालना में नियमानुसार कुरेजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	चुन्नीलाल पुत्र भैरू हि0 5937/8905 राहिन आरएमजीबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन कानाराम पुत्र भैरू हि0 2968/8905 कौम कुमावत सा.देह	A/203/1	0.8905	बारानी 3
2	दानाराम पुत्र भैरू कौम कुमावत सा.देह	B/203/1	0.5937	बारानी 03
3	ओमप्रकाश, मदनलाल पुत्र दयाल हि0 1/28 सणगारी देवी पत्नि दयाल हि0 1/56, गुलाबदेवी, गीता देवी, सुनिता देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीया दयाल हि0 1/14 कौम कुमावत कन्हैयालाल पुत्र नानूराम हि0 1/8, घीसा, पेमा, छोटू पुत्र भोलू हि0 1/4, पुरन पुत्र भुराराम हि0 1/4 चुन्नीलाल, पदमाराम, प्रकाशचन्द पुत्र गोपाल हि0 1/4 कौम कुमावत सा. देह	C/203/1 H/203/1	1.8033 0.6465	बारानी 3 बारानी 3
		किता–02	2.4498	बारानी 3
4	मोहनलाल, हीरालाल पुत्र प्रभात कौम कुमावत सा. देह राहिन बीओबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन व.हि.ब.	E/203/1	1.0818	बारानी 3
5	मोहनलाल, हीरालाल पी0 प्रभात हि0 4024/9210 राहिन बीओबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन ओमप्रकाश, मदनलाल पी0 दयाल हि0 649/32235, सणगारी देवी पत्नि दयाल हि0 649/64470 गुलाब देवी, गीतादेवी, सुनिता देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीया दयाल हि0 1298/32235 कौम कुमावत कन्हैयालाल पुत्र नानूराम हि0 649/9210 घीसा, पेमा, छोटू पुत्र भोलु हि0 1296/9210 पुरन पुत्र भुराराम हि0 1296/9210 चुन्नीलाल पदमाराम प्रकाशचन्द पुत्र गोपाल हि0 1296/9210 कौम कुमावत सा.देह	D/203/1	0.9210	बा. 3 सडक
6	कैलाशचन्द, महेन्द्र पी0 गंगाराम हि0 1/9 कौम कुमावत बिना रहन मुलचन्द पी0 गंगाराम हि0 1/18 राहिन आईसीआईसीआई शाखा जोबनेर मुर्तहीन गोपाललाल, रामनारायण रामेश्वरलाल पुत्र काना हि0 1/2 कौम कुमावत पोखर पुत्र रूघाराम हि0 1/6, भंवरलाल, मुकेश पी0 रूगनाथप्रसाद हि0 1/18, नारायणी देवी पत्नि रूगनाथप्रसाद हि0 1/36, प्रेमदेवी, ममतादेवी, संजनादेवी पुत्रीया रूगनाथप्रसाद हि0 1/12 कौम कुमावत	F/203/1 203/2	2.9558 0.0126	बा. 3 बा. 3 गै.मु. चाह
		किता–02	2.9684	
7	नानुराम पुत्र गंगाराम हि0 1/2 धनराज रामजीलाल पी0 मोहनलाल हि0 3092/7421 जमनादेवी पत्नि मोहनलाल हि0 1237/14842 कौम कुमावत सा. देह	G/203/1	2.9684	बा. 3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 20.06.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर,** जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्री देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस0,**

राजस्व वाद संख्या :– 121/2022

1. नानूराम पुत्र गंगाराम
2. धनराज पुत्र मोहनलाल
3. रामजीलाल कुमावत पुत्र मोहनलाल
4. जमनादेवी पत्नि मोहनलाल
5. दानाराम पुत्र भैरू

समस्त जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दयाल
2. कैलाशचन्द पुत्र गंगाराम
3. कानाराम पुत्र नानूराम
4. कानाराम पुत्र भैरू
5. गुलाबदेवी पुत्री दयाल
6. गीतादेवी पुत्री दयाल
7. गोपाल पुत्र मांगू– फौत
   7/1– नाथी देवी पत्नि स्व0 गोपाल
   7/2– पदमाराम पुत्र स्व0 गोपाल
   7/3– चुन्नीलाल पुत्र स्व0 गोपाल
   7/4– प्रकाश पुत्र स्व0 गोपाल
   समस्त जाति कुमावत निवासीयान बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
   7/5– कृष्णा देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि नन्दाराम जाति कुमावत नि0 देवतवालो की ढाणी, जोबनेर जिला जयपुर
   7/6– गोबंद पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि भींवाराम जाति कुमावत नि0 सरस्वो की ढाणी, आसलपुर,तह0 जोबनेर जिला जयपुर
   7/7– रामप्यारी देवी पत्नि स्व0 गोपाल पत्नि रामनारायण नि0 कुच्यावास, खेजडावास, तह0 जोबनेर
   7/8– भंवरी देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि शंकरलाल जाति कुमावत नि0 देवतवालो की ढाणी, मंढा भीमसिंह तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर
8. गोपाल लाल पुत्र काना
9. घीसा पुत्र भोलू
10. चुन्नीलाल पुत्र भैरु
11. छोटू पुत्र भोलू
12. पेमा पुत्र भोलू
13. पूरण पुत्र भूराराम
14. पोखर पुत्र रूघा
15. मदनलाल पुत्र दयाल

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

16. मूलचन्द पुत्र गंगाराम
17. महेन्द्र पुत्र गंगाराम
18. मोहनलाल पुत्र प्रभात
19. रामनारायण पुत्र काना
20. रामेश्वर पुत्र काना
21. सणगारी पत्नि दयाल
22. सुनीता पुत्री दयाल
23. सुमित्रा देवी पुत्री दयाल
24. हीरालाल पुत्र प्रभात
25. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ
26. मुकेश पुत्र रघुनाथ
27. नारायणी देवी पत्नि रघुनाथ

जाति कुम्हार नि0 बबेरवालों की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

28. तहसीलदार तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
29. प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जोबनेर।
30. प्रबंधक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक जोबनेर।
31. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जोबनेर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस0 ब हाजरी** श्री हनुमान जाखड एवं श्री चन्दन सिंह विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई, सुश्री तबस्सुम रंगरेज मिनजानिब मुद्दायलाह एवं सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री की जाती है कि वादीगण नानूराम वगै0 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं0 203/1 रकबा 11.8610 है0, ख0नं0 203/2 रकबा 0.0126 है0 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी तहसील जोबनेर में प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2023 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.06.2025 को प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 20.06.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	चुन्नीलाल पुत्र भैरू हि0 5937/8905 राहिन आरएमजीबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन कानाराम पुत्र भैरू हि0 2968/8905 कौम कुमावत सा.देह	A/203/1	0.8905	बा. 3
2	दानाराम पुत्र भैरू कौम कुमावत सा.देह	B/203/1	0.5937	बा. 03
3	ओमप्रकाश, मदनलाल पुत्र दयाल हि0 1/28 सणगारी देवी पत्नि दयाल हि0 1/56, गुलाबदेवी, गीता देवी, सुनिता देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीया दयाल हि0 1/14 कौम कुमावत कन्हैयालाल पुत्र नानूराम हि0 1/8, घीसा, पेमा, छोटू पुत्र भोलू हि0 1/4, पुरन पुत्र भुराराम हि0 1/4 चुन्नीलाल, पदमाराम, प्रकाशचन्द पुत्र गोपाल हि0 1/4 कौम कुमावत सा. देह	C/203/1	1.8033	बा. 3
		H/203/1	0.6465	बा. 3
		किता—02	2.4498	बा. 3
4	मोहनलाल, हीरालाल पुत्र प्रभात कौम कुमावत सा. देह राहिन बीओबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन व.हि.ब.	E/203/1	1.0818	बा. 3
5	मोहनलाल, हीरालाल पी0 प्रभात हि0 4024/9210 राहिन बीओबी शाखा जोबनेर मुर्तहीन ओमप्रकाश, मदनलाल पी0 दयाल हि0 649/32235, सणगारी देवी पत्नि दयाल हि0 649/64470 गुलाब देवी, गीतादेवी, सुनिता देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीया दयाल हि0 1298/32235 कौम कुमावत कन्हैयालाल पुत्र नानूराम हि0 649/9210 घीसा, पेमा, छोटू पुत्र भोलु हि0 1296/9210 पुरन पुत्र भुराराम हि0 1296/9210 चुन्नीलाल पदमाराम प्रकाशचन्द पुत्र गोपाल हि0 1296/9210 कौम कुमावत सा.देह	D/203/1	0.9210	बा. 3 सडक
6	कैलाशचन्द, महेन्द्र पी0 गंगाराम हि0 1/9 कौम कुमावत बिना रहन मुलचन्द पी0 गंगाराम हि0 1/18 राहिन आईसीआईसीआई शाखा जोबनेर मुर्तहीन गोपाललाल, रामनारायण रामेश्वरलाल पुत्र काना हि0 1/2 कौम कुमावत पोखर पुत्र रूघाराम हि0 1/6, भंवरलाल, मुकेश पी0 रूगनाथप्रसाद हि0 1/18, नारायणी देवी पत्नि रूगनाथप्रसाद हि0 1/36, प्रेमदेवी, ममतादेवी, संजनादेवी पुत्रीया रूगनाथप्रसाद हि0 1/12 कौम कुमावत	F/203/1	2.9558	बा. 3
		203/2	0.0126	बा. 3 गै.मु. चाह
		किता—02	2.9684	
7	नानुराम पुत्र गंगाराम हि0 1/2 धनराज रामजीलाल पी0 मोहनलाल हि0 3092/7421 जमनादेवी पत्नि मोहनलाल हि0 1237/14842 कौम कुमावत सा. देह	G/203/1	2.9684	बा. 3

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 27 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया		पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......				अर्जी दावा.......		
स्टाम्प वकालतनामा....				स्टाम्प वकालतनामा....		
स्टाम्प वजह सबूत......				स्टाम्प वजह सबूत......		
महनताना वकील......				महनताना वकील......		
खर्चा गवाहान......				खर्चा गवाहान......		
फीस कमिश्नर......				फीस कमिश्नर......		
बाबत् इजराय				बाबत् इजराय		
हुक्मनामा......				हुक्मनामा......		
मुतफर्रिक.......				मुतफर्रिक.......		
मीजान.......				मीजान.......		
कुल						

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

जोबनेर, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर